भारत संघ व अन्य

बनाम

एस.के. गोयल व अन्य

फ़रवरी 12, 2007

[डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन और अल्तमस कबीर, जे.जे.]

सेवा कानून:

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) - प्रतिकूल प्रविष्टियाँ और टिप्पणियाँ - एसीआर को डाउनग्रेड करना - सूचना देना - विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही और सिफारिशें - सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी का गठन किया गया था। (सीसीई) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवाओं के ग्रेड ए अधिकारियों में से एक ने दावा प्रस्तुत किया कि वर्ष 1994-95 के लिए उनके एसीआरएस को डीपीसी द्वारा उचित रूप से वर्गीकृत या विचार नहीं किया गया था उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें निम्न ग्रेड दिया गया था। एक एसीआर पर समीक्षा अधिकारी को सूचित नहीं किया गया अधिकारी का दावा खारिज कर दिया गया अधिकारी को सीसीई के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया ट्रिब्यूनल ने अधिकारी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और माना कि टिप्पणियों / ग्रेडिंग को सूचित करना आवश्यक नहीं था जो प्रतिकूल नहीं थी या किसी विशेष पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित बेंच मार्क से नीचे नहीं थी उच्च न्यायालय

ने अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका को अभिनिधारित शुद्धता केवल प्रतिकूल प्रविष्टियों और टिप्पणियों को सूचित किया जाना होता है और सरकारी कर्मचारी को एसीआर की डाउनग्रेडिंग के बारे में सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है उन टिप्पणियों / ग्रेडिंग को सूचित करना आवश्यक नहीं है जो प्रतिकूल नहीं हैं या पदोन्नति के लिए निर्धारित बेंच मार्क से नीचे नहीं हैं आमतौर पर अदालतों द्वारा डीपीसी की कार्यवाही और सिफारिशों पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी डीपीसी बैठकें अवैध रूप से या नियमों के घोर उल्लंघन में आयोजित न की गई हों-उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया गया।

पहले प्रतिवादी और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा में ग्रेड ए अधिकारी के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर के रूप में परिवीक्षा पर शामिल हुए और समूह ए सेवा में विधिवत पुष्टि की गई। प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 को वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया था। पहले प्रतिवादी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और बाद में नियमित कर दिया गया।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का गठन किया गया था। पहले प्रतिवादी ने उसे सौंपी गई वरिष्ठता के खिलाफ उज्र किया और उसने दावा किया कि वर्ष 1994-1995 के लिए उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआरएस) को डीपीसी द्वारा उचित रूप से वर्गीकृत या विचार

नहीं किया गया था और समीक्षा अधिकारी द्वारा उसे निम्न ग्रेडिंग दी गई थी। एक एसीआर उन्हें सूचित नहीं की गई थी अपीलकर्ता ने पहले प्रतिवादी के प्रतिवेदन को खारिज कर दिया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त के पद पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को पदोन्नत किया।

व्यथित होकर, पहले प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और माना कि उन टिप्पणियों/ग्रेडिंग को सूचित करना आवश्यक नहीं था जो प्रतिकूल नहीं थीं या किसी विशेष पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित बेंच मार्क से नीचे नहीं थीं। उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। इसलिए अपील दायर की गयी।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठा:- क्या उच्च न्यायालय ने एसीआर के विनियमन / रिकॉर्डिंग के लिए सरकारी निर्देशों पर विचार करने में विफलता / चूक की है, जो एसीआर में केवल प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना का प्रावधान करता है?

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1. मौजूदा मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली थी और उसे औसत से ऊपर के निर्धारित बेंच मार्क के स्तर पर वर्गीकृत किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता पर

प्रतिवादी संख्या 1 को एसीआर प्रविष्टि सूचित करने का न तो कोई दायित्व था और न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। [पैरा 23] [443-डी]

माणिक चंद बनाम यू.ओ.आई. **(2002) 3 एटीजे 268,**यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेजर बहादुर सिंह, [2006] **1 एससीसी 368,**आर.एल. बुटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया **[1970] 2 एससीसी 876,**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम काशीनाथ खेर, **[1996] 8 एससीसी 762 और** यूपी राज्य बनाम यमुना शंकर मिश्रा, **एआईआर (1997) एससी 367, संदर्भित।**

2.1. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने निर्धारित मानदंडों का पालन किया और पात्र अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यता निर्धारित करने के लिए इसमें निहित अपने विवेक का भी उपयोग किया और उसके बाद योग्यता के क्रम में सिफारिशें कीं। इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई अवसर या औचित्य नहीं था, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा। [पैरा 24] यूपी जल निगम बनाम प्रभात चंद्र जैन, **एआईआर (1996) एससी 1616, निर्धारित लागू नहीं।**

2.2. इस मामले में, डाउनग्रेडिंग तुलनात्मक रूप से की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के डाउनग्रेडिंग का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, डाउनग्रेडिंग अभी भी बेंचमार्क को पूरा करती है और चूंकि, केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को डीपीसी द्वारा पहले प्रतिवादी से बेहतर माना गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उसकी ग्रेडिंग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था। पैरा 25

[1443-जी-एच; 444-ए]

3. ट्रिब्यूनल के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सेवा न्यायशास्त्र की अच्छी तरह से तय की गई उक्ति का पालन करता है कि डीपीसी की कार्यवाही और सिफारिशों में अदालतों द्वारा आमतौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी डीपीसी बैठकें नहीं की जाती हैं। अवैध रूप से या नियमों का घोर उल्लंघन या गोपनीय रीपोस्ट की गलत ग्रेडिंग में आयोजित है। वर्तमान मामले में, डीपीसी ने उन पात्र अधिकारियों की सभी प्रासंगिक गोपनीय रिपोर्टों का समग्र मूल्यांकन किया था, जिन पर विचार किया जा रहा था। डीपीसी ने समीक्षा अधिकारियों की टिप्पणियों पर विचार किया। वहां बुद्धि का स्पष्ट प्रयोग किया प्रतिवादी संख्या 1 ने बेंचमार्क पूरा किया। [पैरा 26] [444-बी-सी]

4.1. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का पद एक ऐसा पद है जिसे योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरा जाना आवश्यक है। डीपीसी कार्यवाही की कोई न्यायिक समीक्षा किये जाने की आवश्यकता नहीं है, जो आमतौर पर स्थायी सरकारी निर्देशों और नियमों के अनुसार आयोजित की जाती है। पैरा 271 [444-ई]

4.2. इस प्रकार, यह देखा गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय इस विषय पर जारी निर्देशों के अनुसार लिया गया है कि केवल प्रतिकूल प्रविष्टियों और टिप्पणियों को सूचित किया जाना है और

किसी सरकारी कर्मचारी को एसीआर के डाउनग्रेडिंग के बारे में सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार का निर्णय प्रचलित नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप है। [पैरा 27] [444-एफ]

5.1. किसी भी उल्लंघन के अभाव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से अनुचित है। चूंकि वरिष्ठता का मामला अच्छी तरह से सुलझा लिया गया है और इस न्यायालय ने कई मामलों में यह माना है कि डीपीसी चयन के आधार पर दी गई वरिष्ठता/पदोन्नति को समय बीतने के बाद अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और विवादित निर्देश पारित नहीं करना चाहिए था। [पैरा 27] [444-जी-एच]

5.2. डीपीसी को अपने द्वारा विचार किए जा रहे उम्मीदवार की उपयुक्तता और योग्यता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपनी पद्धति और प्रक्रिया तैयार करने में पूर्ण विवेक प्राप्त था। इसलिए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश रद्द किये जाने योग्य है। [पैरा 27] [445-बी]

अनिल कटियार वि. भारत संघ, **[1997] 1 एससीसी 280 और** संघ लोक सेवा आयोग बनाम भारत। एल.पी. तिवारी, **(2006) 12 स्केल 278, पर भरोसा किया गया।** संघ लोक सेवा आयोग बनाम के. राजैया, **[2005]**

10 एससीसी 15, उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 689/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. संख्या 5404/2003 मे पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.1.2005 से उत्पन्न।

आर.मोहन, ए.एस.जी., टी.एस. दोआबिया, तुफ़ैल ए. खान, बी.के. प्रसाद और पी. परमेश्वरन, अपीलकर्ताओं के लिए।

राजीव दत्ता, अजय वीर, एस.के. सिंगला, बी.एस. जैन, एम.एफ. हुमायु निसा, कुमार दुष्यन्त सिंह और विपिन गुप्ता, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, जे. 1. याचिका स्वीकृत।

2. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ इस अपील में पहला अपीलकर्ता है। दूसरा अपीलकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इसके सचिव, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली है। पहला प्रतिवादी विरोध करने वाला प्रतिवादी है। प्रतिवादी संख्या 2-5 और प्रथम प्रतिवादी परिवीक्षा पर ग्रेड ए अधिकारी के रूप में भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा में शामिल हुए और यूपीएससी द्वारा चयन के बाद उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य प्रतिवादियों की समूह ए सेवा में पुष्टि की गई। आदेश में प्रोफार्मा प्रतिवादियों को वरिष्ठता

क्रम में ऊपर रखा गया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 को वर्ष 1983 में तदर्थ आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और दिनांक 16.7.1985 के आदेश के तहत उक्त नियुक्ति को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप कलेक्टर के रूप में नियमित किया गया था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने प्रतिवादी संख्या 1 व प्रोफार्मा प्रतिवादियों को तदर्थ पदोन्नति के लिए 1997 में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के ग्रेड में कार्य करने के लिए कार्यालय आदेश संख्या 187 जारी किया।

3. अप्रैल, 1997 और फरवरी, 1998 में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "डीपीसी") का गठन किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने सौंपी गई वरिष्ठता के खिलाफ आवेदन किया और उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1994-1995 के लिए उनकी एसीआर को डीपीसी द्वारा उचित रूप से वर्गीकृत या विचार नहीं किया गया था और एक एसीआर पर समीक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई कम ग्रेडिंग उचित नहीं थी और डीपीसी को रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दी गयी उच्च ग्रेडिंग पर विचार करना चाहिए था।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 12.1.1999 को कार्यालय आदेश संख्या 11,1999 जारी किया गया था, जिसके तहत इन अधिकारियों की पदोन्नति सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पद पर की गई

थी। कार्यालय ज्ञापन क्रमांक एफ. क्रमांक क्यू-32012/10/97-ए ओ-II भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 का प्रतिवेदन निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया गया था:

> "(i) 5 वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिशें की कि केंद्रीय सेवाओं में पदोन्नति के लिए, जैसा कि आईएएस अधिकारियों के मामले में, सेवा में प्रारंभिक प्रवेश पर यूपीएससी द्वारा तय की गई पारस्परिक वरिष्ठता अप्रभावित रहनी चाहिए, यह सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में निर्णय लेने में समय लगने की संभावना है क्योंकि इसमें डीपीसी दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं, मौजूदा निर्देश/दिशानिर्देश डीपीसी से संबंधित नियम का पालन करना आवश्यक है।
>
> (ii) डीओपीएंडटी द्वारा 10 अप्रैल, 1989 को अपने ओएम के माध्यम से परिचालित डीपीसी दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.1(ई) के प्रावधानों का डीपीसी ने पालन किया, जो यूपीएससी में हुई और श्री गोयल को आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए के मामले पर विचार किया गया। ऐसे में, यह कहना उचित नहीं होगा कि डीपीसी ने समीक्षा अधिकारी द्वारा श्री गोयल

को दी गई निम्न ग्रेडिंग को ध्यान में रखा, न कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दी गई उच्च ग्रेडिंग।

(iii) हालाँकि, समीक्षा अधिकारी ने वर्ष 1994-95 के एसीआर में श्री गोयल की समग्र ग्रेडिंग को थोड़ा कम कर दिया था और एसीआर को प्रति हस्ताक्षर के लिए सीवीसी को भी नहीं भेजा जा सका था, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव डीपीसी के निष्कर्ष आयुक्त के पद पर उनकी पदोन्नति के मामले में पड़ा था। डीपीसी ने एसीआरएस में प्रविष्टियों के आधार पर अपना मूल्यांकन किया और समीक्षा/रिपोर्टिंग अधिकारियों की समग्र ग्रेडिंग का कोई परिणाम नहीं निकला।

(iv) यह दावा करना किसी व्यक्तिगत अधिकारी का काम नहीं है कि उसका मामला बकाया है या अन्यथा, जैसा कि श्री गोयल ने अपने अभ्यावेदन में दावा किया है। यह डीपीसी का काम है कि वह अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड देखने के बाद उसका आकलन करे। केवल राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से किसी अधिकारी को यह दावा करने का अधिकार नहीं मिल सकता कि उसे डीपीसी द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग से सम्मानित किया जाना चाहिए।"

5. प्रतिवादी नंबर 1 ने सेंट्रल प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ,

नई दिल्ली के समक्ष 2000 का ओए नंबर 141 निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर किया:-

"(i) यह निर्देश देने के लिए कि, आयुक्त के ग्रेड में, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 पर आवेदक की वरिष्ठता बनाए रखी जाए और इसलिए 1999 के आक्षेपित कार्यालय आदेश संख्या 11 को उस हद तक अवैध घोषित किया जाए, जिस हद तक यह प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक आवेदक के ऊपर को स्थान देता है और उक्त आदेश में निहित सूची के क्रम संख्या 1 पर आवेदक का सही स्थान देने के लिए,

(ii) विकल्प में, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की पदोन्नति को निर्धारित/रद्द करने के लिए, जहां तक उन्हें पदोन्नत किया गया है और आवेदक से ऊपर वरिष्ठता दी गई है,

(iii) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गये अदिनांकित कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक-ए 2) को रद्द करना और अपास्त करना।

(iv) यहां आवेदक को इस आवेदन की लागत प्रदान करना, और

(v) ऐसे अन्य आदेश पारित करना जो न्याय के हित में उचित समझे जाएं।"

6. अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 1 के दावे का खंडन करते हुए

अपने जवाबी हलफनामे दायर किए। यह प्रस्तुत किया गया कि डीपीसी ने एमएम के पैरा 6.2.1 (डीओपी एंड टी) नंबर जी 22011/556-स्था. (डी) दिनांक 10.4.1989 के तहत निर्धारित विधिवत अनुमोदित मानदंडों और प्रक्रिया का पालन किया था।

7. ट्रिब्यूनल ने माणिक चंद बनाम यू.ओ. और अन्य (2002) 3 एटीजे 268 के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले का पालन करते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया। यह मानने के लिए कि उन टिप्पणियों/ग्रेडिंग को संप्रेषित करना आवश्यक नहीं है जो प्रतिकूल नहीं हैं या पदोन्नति के लिए निर्धारित बेंच मार्क से नीचे नहीं हैं। चयन पद के संबंध में एक विशेष पद दूसरे शब्दों में, यदि आवेदक बेंचमार्क को पूरा कर रहा था, तो प्रविष्टि के सम्प्रेषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जिसे किसी भी स्थिति में प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता।

8. ट्रिब्यूनल ने यूपी जल निगम बनाम प्रभात चंद्र जैन, एआईआर (1996) एससी 1616 के मामले के तथ्यों और अनुपात पर भी विचार किया और यह पर्यवेक्षित करते हुए यह दर्शित नहीं है कि गोपनीय रिपोर्टों को डाउनग्रेड किया गया था और एक बार जब उन्हें डाउनग्रेड नहीं किया गया था, तो ऐसी ग्रेडिंग को संप्रेषित करने का सवाल ही नहीं उठता।

9. प्रतिवादी नंबर 1 ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 में रिट याचिका संख्या 5404 दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और वर्ष 1992-1993, 1993-1994 और 1994-1995 के

लिए ट्रिब्यूनल और एसीआरएस के आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को प्रतिवादी नंबर 1 की वरिष्ठता पर नए सिरे से विचार करने के लिए अपीलकर्ता को प्रतिप्रेक्षित दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के अंतिम भाग में निम्नानुसार कहा:

> "इसी तरह का विचार जे.एस.गर्ग बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में व्यक्त किया गया है, रिपोर्टेड 100 (2002) डीएलटी 177 । ऊपर उद्धृत मामलों की कैटेना से यह उभर कर आता है कि जब कोई प्रविष्टि किसी प्रतिकूल तत्व को दर्शाती है तो यह पदोन्नति के सख्त अर्थों में प्रतिकूल प्रविष्टि के समान नहीं है क्योंकि दोनों ही सकारात्मक ग्रेडिंग हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि यूपी जल निगम के मामले में देखा गया है, ऐसी स्थिति में गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने वाले प्राधिकारी को संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल में ऐसी डाउन ग्रेडिंग के कारणों को दर्ज करना होगा। और उसे सलाह के रूप में परिवर्तन के बारे में सूचित करें। जब भी उसकी कमजोरी देखी जाए तो इस हद तक को उचित मार्गदर्शन और अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उस प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी दर को वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाती है, तो इसमें प्रतिकूलता का तत्व है जहां तक उसकी सेवा प्रोफ़ाइल का

सवाल है, इसमें यह अच्छी तरह से तय है कि यद्यपि न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय किसी अधिकारी द्वारा दिए गए मूल्यांकन और ग्रेडिंग को मॉडरेट नहीं कर सकता है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताई गई अवधि के लिए प्रविष्टियों में प्रतिकूल तत्व प्रतिबिंब था और उस उद्देश्य के लिए उनकी वरिष्ठता को कम कर दिया गया, एसीआर को याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए था, जो कि हस्तगत मामले में नहीं किया गया है, इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भारत संघ और अन्य बनाम एम.एस. प्रीत और अन्य फैसले पर भरोसा किया गया है। 22.11.2002 को प्रस्तुत सिविल रिट याचिका संख्या 13024 / सीएटी / 2002 लागू नहीं होगी। हमने ट्रिब्यूनल के आदेश वर्ष 1992-1993, 1993-1994 और 1994-1995 की एसीआर को रद्द कर अपास्त कर दिया तथा उपरोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता पर तीन महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए मामले को प्रतिवादी के पास वापस भेजते है।"

10. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उपरोक्त अपील

दायर की।

11. हमने श्री आर. मोहन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री टी.एस. दोआबिया, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव दत्ता को सुना।

12. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आर. मोहन ने हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों से प्रस्तुत किया और अवगत कराया कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्डिंग को विनियमित करने के लिए सरकारी निर्देशों पर विचार करने में अपनी विफलता/चूक में गलती की है वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो एसीआर में केवल प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना का प्रावधान करती है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली थी और उसे औसत से ऊपर' के निर्धारित बेंच मार्क के स्तर पर वर्गीकृत किया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को एसीआर प्रविष्टि के बारे में सूचित करने के लिए अपीलकर्ता पर न तो कोई जिम्मेदारी थी और न ही आवश्यकता थी। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि डीपीसी ने निर्धारित मानदंडों का पालन किया और पात्र अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यता निर्धारित करने के लिए इसमें निहित अपने विवेक का भी उपयोग किया और उसके बाद योग्यता के क्रम में सिफारिशें कीं। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखे गए अपीलकर्ताओं द्वारा पारित आदेश में

हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था।

13. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने निम्नलिखित फैसलों का भी हवाला दिया:

1. भारत संघ एवं अन्य बनाम मेजर बहादुर सिंह, [2006] 1 एससीसी 368।

2. आर.एल. बुटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1970] 2 एससीसी 876।

3. अनिल कटियार(श्रीमती) बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1997] एससीसी 280.

14. प्रतियोगी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव दत्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2-5 के साथ यूपीएससी द्वारा चयन के बाद समूह ए में परिवीक्षा पर भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवाओं में शामिल हुआ और प्रारंभिक प्रवेश चरण में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संस्थापना में क्र.सं. 148 दिनांकित 19 दिसम्बर 1975 को अधिसूचना के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रतिवादी क्रमांक 2-5 से ऊपर निर्धारित किया गया था। उक्त वरिष्ठता सूची में श्री वाई.जी. परांडे को क्रमांक 2 पर, श्री हरिओम तिवारी, प्रतिवादी संख्या 3 को क्रमांक 3 पर, श्री सी. सत्पथी, प्रतिवादी संख्या 4 को क्रमांक 12 पर और श्री लीप मैथ्यू, प्रतिवादी संख्या 5 को

क्रमांक 14 पर दिखाया गया था आैर प्रतिवादी नंबर 1 को आदेश संख्या 149/83 दिनांकित 12.8.1983 द्वारा तदर्थ आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और अधिसूचना दिनांक 16.7.1985 के माध्यम से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप कलेक्टर के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय राजस्व सेवाओं की एक सिविल सूची जारी की और उस सूची में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रतिवादी क्रमांक 2-5 से वरिष्ठ दिखाया गया और वर्ष 1991 में, प्रतिवादी संख्या 1 की पिछले 15 वर्षों की उपलब्धियों पर विचार करने को विशेष रूप से विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया गया।

15. श्री राजीव दत्ता ने आगे कहा कि प्रारंभिक प्रवेश चरण के दिन से लेकर आयुक्त के पद पर तदर्थ पदोन्नति की तारीख तक, प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2-5 से वरिष्ठ दिखाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी रहा है और रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा उसे 1989-1990 से 1996-1997 तक उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है। हालाँकि, बाद में प्रतिवादी नंबर 1 को पता चला कि वर्ष 1992-1993, 1993-1994 और 1994-1995 के लिए, समीक्षा अधिकारी ने उसकी एसीआर को एक कदम नीचे यानी 'उत्कृष्ट'से 'बहुत अच्छा'कर दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 1995-1996 और 1996-1997 के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 को 'उत्कृष्ट'दर्जा दिया था और

उसकी एसीआर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भेजे जाने पर भी प्रतिवादी नंबर 1 को 'उत्कृष्ट'दर्जा दिया गया था।

16. श्री राजीव दत्ता के अनुसार, समीक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 को 'उत्कृष्ट'से 'बहुत अच्छा'करने के लिए कोई कारण नहीं बताया। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के रैंक को डाउनग्रेड करने के लिए उनके सामने कोई सामग्री नहीं थी। समीक्षा करने वाले ने ऐसी कोई सामग्री नहीं बताई जिसके आधार पर उक्त समीक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 की ग्रेडिंग को 'उत्कृष्ट'से घटाकर 'बहुत अच्छा'करने का दावा किया हो। यह भी तर्क दिया गया कि समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को इस बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था कि सलाह या अन्यथा के रूप में यह डाउनग्रेडिंग की गई और प्रतिवादी नंबर 1 को यह दिखाने का अवसर कभी नहीं दिया गया कि डाउनग्रेडिंग पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक थी।

17. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि फरवरी, 1998 में, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की गई थी। उक्त डीपीसी ने प्रतिवादी क्रमांक 2-5 के मामले के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 के मामले पर भी विचार किया। डीपीसी द्वारा कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया। उम्मीदवारों की योग्यता और अवगुणों पर विचार करने के लिए, डीपीसी ने केवल वर्ष 1988-90 से 1996-1997 तक के एसीआरएस पर विचार किया। प्रतिवादी नंबर 1 के मामले में, वर्ष 1992-1993, 1993-1994 और 1994-1995 के दोषपूर्ण

और अपूर्ण एसीआर पर डीपीसी द्वारा विचार किया गया और आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल तैयार किया गया। डीपीसी द्वारा और प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2-5 से नीचे रखा गया, जिससे उसकी वरिष्ठता बाधित हुई। डीपीसी ने वर्ष 1992-1993 से 1994-1995 की प्रतिवादी नंबर 1 की दोषपूर्ण और अपूर्ण एसीआरएस को लेने के अलावा 5 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं किया कि उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता होनी चाहिए। श्री राजीव दत्ता ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम काशीनाथ खेर, [1996] 8 एससीसी 762 पर 771 पैरा 15 के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने बताया कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने का उद्देश्य दोहरा है।

(i) अधिकारी को अकुशलता दूर करने नुशासन पैदा करने का अवसर देना

(ii) इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और दक्षता में सुधार करना है।गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय अधिकारियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और निष्पक्ष मूल्यांकन दिखाना चाहिए, अधिकारी में कर्तव्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी की उच्चतम भावना होनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत अधिकारियों की उत्कृष्टता में सुधार हो सके।

18. श्री राजीव दत्ता ने यूपी राज्य बनाम यमुना शंकर मिश्रा, एआईआर (1997) एससी 3671 में इस न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें इस न्यायालय ने माना कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने और चरित्र

रोल में प्रविष्टियां करने का उद्देश्य एक लोक सेवक को उत्कृष्टता में सुधार करने का अवसर देना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51ए(जे) प्रत्येक नागरिक को समूह के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्टता साबित करने का निरंतर प्रयास करने का प्राथमिक कर्तव्य देता है। अवसर मिलने पर, व्यक्तिगत कर्मचारी उत्कृष्टता में सुधार करने का प्रयास करता है और इस प्रकार प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी। जिस अधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट लिखने का कर्तव्य सौंपा गया है, उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी और विश्वास है कि वह गोपनीय रिपोर्ट को उदेश्यपूर्ण, उचित और निष्पक्ष रूप से लिखे, जबकि यथा संभव सटीक रूप से, अधीनस्थ अधिकारी के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन पर तथ्यों का विवरण दे। इसे तथ्यों या परिस्थितियों पर आधारित किया जाना चाहिए। हालाँकि कभी-कभी, यह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन आचरण, प्रतिष्ठा और चरित्र सार्वजनिक ज्ञान या कुख्याति प्राप्त करते हैं और उनके ज्ञान में हो सकते हैं। प्रतिकूल राय बनाने से पहले, गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारियों को वह जानकारी जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, उस अधिकारी के साथ साझा करनी चाहिए, जिसके बारे में अधिकारी को जानकारी है और फिर उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। एक अवसर दोषी/भ्रष्ट अधिकारी को निर्णय, आचरण, व्यवहार, सत्यनिष्ठा या आचरण/भ्रष्ट प्रवृत्ति की त्रुटियों को सुधारने के लिए दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा अवसर देने के बावजूद, अधिकारी कर्तव्य पालन करने, अपने

आचरण को सही करने या खुद में सुधार करने में विफल रहता है, तो उसे गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकता है और उसकी एक प्रति प्रभावित अधिकारी को दी जा सकती है ताकि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को जानने का मौका मिल सके। यदि वह व्यथित महसूस करता है, तो यह उसके लिए अवसर होगा कि वह इसे निवारण के लिए उच्च अधिकारियों या किसी उपयुक्त न्यायिक मंच पर उचित अभ्यावेदन द्वारा सही कराए। जिससे सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अच्छे आचरण और दक्षता में सुधार होता है और सेवाओं में उत्कृष्टता के मानक लगातार उच्च स्तर तक बढ़ते हैं और यह ईमानदारी, दक्षता और भक्ति अधिकारियों के साथ सेवा का प्रबंधन करने का सफल उपकरण बन जाता है।

19. यू.पी. जल निगम एवं अन्य बनाम प्रभात चंद्र जैन एवं अन्य, (सुप्रा),के मामले में यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने एसीआरएस दर्ज करने के मामले में इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया और अधिकारी को अवसर देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ डाउनग्रेडिंग/प्रतिकूल टिप्पणियों को अधिकारी के ध्यान में लाया। अपने आचरण को सुधारने के लिए. प्रतिवादी नंबर 1 के मामले में, उसे 'उत्कृष्ट'से 'बहुत अच्छा'कर दिया गया था और इसका कोई कारण नहीं बताया गया था और ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर समीक्षा अधिकारी प्रतिवादी नंबर 1 को डाउनग्रेड कर सके। इस तरह के डाउनग्रेडिंग का कोई कारण नहीं बताया

गया और न ही प्रतिवादी नंबर 1 को डाउनग्रेडिंग का मूल्यांकन किया गया, जिससे एसीआरएस दोषपूर्ण हो गई जिस पर डीपीसी द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

20. आगे तर्क देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि डाउनग्रेड की गई प्रविष्टि को अभी भी सकारात्मक माना जाता है तो यह रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जैसा कि प्रतिवादी संख्या: 1 के मामले में हुआ था और डीपीसी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में केवल 1989-1990 से 1996-1997 तक एसीआर पर विचार किया था। एसीआर के अलावा डीपीसी के पास कोई अन्य सामग्री नहीं थी।

21. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि डीपीसी ने भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 5 वें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करके भी गंभीर गलती की है, जिससे पदोन्नति के मामले में प्रारंभिक प्रवेश चरण के समय तय की गई वरिष्ठता में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किए गए फैसले पर आधारित है और ,इसलिए सिविल अपील अप्राप्य है।

22. हमने हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड और सामग्री तथा ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर

सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें सुनीं। वर्तमान मामले में विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय ने एसीआर की रिकॉर्डिंग को विनियमित करने के लिए सरकारी निर्देशों पर विचार करने में अपनी विफलता/चूक में गलती की है, जो केवल एसीआरएस में प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना के लिए प्रदान करता है।

23. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मिली थी और उसे औसत से ऊपर के निर्धारित बेंच मार्क के स्तर पर वर्गीकृत किया गया था, इसलिए, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ठीक ही बताया था कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 1 को एसीआर प्रविष्टि के बारे में सूचित करने की न तो कोई जिम्मेदारी थी न ही आवश्यकता थी।

24. सुनवाई के समय मूल रिकार्ड हमारे सामने रखा गया। हमने उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारे विचार में, डीपीसी ने निर्धारित मानदंडों का पालन किया और पात्र अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यता निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का भी उपयोग किया और उसके बाद योग्यता के क्रम में सिफारिशें कीं। इस प्रकार अपीलकर्ताओं द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई अवसर या औचित्य नहीं था, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा था।

25. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने

यूपी जल निगम (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया। हमारी राय में, उक्त निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मौजूदा मामले से पूरी तरह अलग है और उच्च न्यायालय द्वारा इस पर गलत तरीके से भरोसा किया गया है। उ.प्र. जल निगम के मामले में संबंधित अधिकारी श्री पी.सी. जैन को एक निश्चित समय पर पदावनत कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाया गया था कि प्रवेश की डाउनग्रेडिंग को प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है और इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यू.पी. जल निगम सेवा नियमावली में प्रतिकूल प्रविष्टियों की संसूचना हेतु प्रावधान किया गया है। इस मामले में, तुलना करके अपग्रेड किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के डाउनग्रेडिंग का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, डाउनग्रेडिंग अभी भी बेंचमार्क को पूरा करती है और इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को डीपीसी द्वारा प्रतिवादी से बेहतर माना गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उसकी श्रेणीकरण के बारे में सूचित कर दिया गया है।

26. हमारी राय में, ट्रिब्यूनल के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सेवा न्यायशास्त्र की अच्छी तरह से तय की गई उक्ति का पालन करता है कि डीपीसी की कार्यवाही और सिफारिशों में अदालतों द्वारा आमतौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि डीपीसी बैठकें अवैध रूप से या नियमों का घोर उल्लंघन करके आयोजित

न की गई हो या गोपनीय रिपोर्टों की गलत ग्रेडिंग की जाती हो। वर्तमान मामले में, डीपीसी ने उन पात्र अधिकारियों की सभी प्रासंगिक गोपनीय रिपोर्टों का समग्र मूल्यांकन किया था जिन पर विचार किया जा रहा था। डीपीसी ने समीक्षा अधिकारियों की टिप्पणियों पर विचार किया। इसमें दिमाग का स्पष्ट प्रयोग था। प्रतिवादी संख्या 1ने बेंचमार्क पूरा किया। इसलिए, उच्च न्यायालय का विवादित निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के कैडर में पूरी तरह से भ्रम और अराजकता पैदा होगी।

27. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अवधि के लिए प्रविष्टियों में प्रतिकूल प्रतिबिंब का तत्व था और उस उद्देश्य के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की वरिष्ठता को कम कर दिया गया था और इसलिए, एसीआर प्रतिवादी क्रमांक 1 को सूचित करनी चाहिए थी हमारी राय में, उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ पूरी तरह से अनुचित हैं क्योंकि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का पद एक ऐसा पद है जिसे योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरा जाना आवश्यक है। डीपीसी कार्यवाही की कोई न्यायिक समीक्षा, जो आमतौर पर स्थायी सरकारी निर्देशों और नियमों के अनुसार आयोजित की जाती है, की आवश्यकता नहीं है। डीपीसी के लिए मानदंड और प्रक्रिया ओ.एम. दिनांक 10.4.1989 में निर्धारित हैं। इस प्रकार यह देखा गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय इस विषय पर जारी निर्देशों के अनुसार लिया गया

है कि केवल प्रतिकूल प्रविष्टियों और टिप्पणियों को सूचित किया जाना है और किसी सरकारी कर्मचारी को एसीआर के डाउनग्रेडिंग के बारे में सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार का निर्णय प्रचलित नियमों और निर्देशों के अनुसार सख्ती से है। किसी भी उल्लंघन के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा करना पूर्णतः अनुचित है। चूंकि वरिष्ठता का मामला अच्छी तरह से सुलझा लिया गया है और इस न्यायालय ने कई मामलों में यह माना है कि डीपीसी चयन के आधार पर दी गई वरिष्ठता/पदोन्नति को समय बीतने के बाद अनिश्चित नहीं होना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और न ही विवादित निर्देश पारित करना चाहिए था। इसके अलावा, दिए गए निर्देशों के अनुसार डीओपीटी आदेश संख्या 22011/5/86/स्था. के पैरा 6.21 में डी दिनांक 19.4.1981, यथासंशोधित डीपीसी को केवल समग्र ग्रेडिंग, यदि कोई हो के आधार पर निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है, जिसे सीआर में दर्ज किया जा सकता है, बल्कि सीआर में प्रविष्टियों के आधार पर अपना स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। डीपीसी को अपने द्वारा विचार किए जा रहे उम्मीदवार की उपयुक्तता और योग्यता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपनी पद्धति और प्रक्रिया तैयार करने में पूर्ण विवेक प्राप्त था। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश

अपास्त किये जाने योग्य है।

28. विषय पर केस कानून

1. अनिल कटियार (श्रीमती) बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1997] 1 सीसी 280: इस मामले में अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 भारत सरकार के कानून मंत्रालय में केंद्रीय एजेंसी अनुभाग में सहायक सरकारी वकील के रूप में शामिल हो गए थे। अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 से कनिष्ठ था। उप सरकारी वकील के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय, जो एक चयन पद है, डीपीसी ने दोनों को "बहुत अच्छा"के रूप में वर्गीकृत किया और वरिष्ठता के आधार पर उक्त पद के लिए प्रतिवादी नंबर 4 का चयन किया। अपीलकर्ता ने कैट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 4 के चयन को इस आधार पर असफल रूप से चुनौती दी कि डीपीसी द्वारा उसे केवल "बहुत अच्छा" ग्रेड देना उचित नहीं था, क्योंकि संबंधित तीन वर्षों में से दो वर्षों के लिए एसीआरएस में विभागीय अधिकारियों ने उसे ग्रेड दिया था। "उत्कृष्ट" और तीसरे वर्ष के लिए "बहुत अच्छा"जबकि उन्होंने सभी तीन एसीआर में प्रतिवादी नंबर 4 को "बहुत अच्छा"के रूप में वर्गीकृत किया था। कैट ने डीपीसी की सिफारिशों की जांच करने के अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया, इस न्यायालय ने "उत्कृष्ट"सहित समग्र ग्रेडिंग देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में डीपीसी द्वारा अपनाई गई गोपनीय प्रक्रिया का अवलोकन किया। एक अधिकारी को। इसके बाद, डीपीसी द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 के चयन में

हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, लेकिन कैट की उक्त टिप्पणी को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली गोपनीय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, यह मानना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता को "उत्कृष्ट" के बजाय "बहुत अच्छा"ग्रेड देने का डीपीसी का निर्णय मनमाना था। इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए, डीपीसी द्वारा प्रतिवादी 4 के चयन में हस्तक्षेप का मामला बनता है जिसके आधार पर उन्हें उप सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन, साथ ही, यह माना जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल ने इसमें जाने में गलती की थी सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता को वर्ष 1990-1991 और 1991-1992 के लिए एसीआर में "उत्कृष्ट"के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ट्रिब्यूनल की टिप्पणियां कि दोनों में से अपीलकर्ता को दी गई "उत्कृष्ट"ग्रेडिंग एक "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग दिए गए विभिन्न मापदंडों से नहीं मिलती है और इसलिए, उसमें दर्ज की गई रिपोर्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार अपास्त कर दिया जाता है।"

2. संघ लोक सेवा आयोग बनाम एल.पी. तिवारी एवं अन्य, (2006) 12 स्केल 278: यह मामला भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए चयन

सूची में ग्रेडिंग से संबंधित है। विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया जा रहा था। प्रतिवादी सहायक वन संरक्षक के पद पर राज्य सेवा वन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। दोनों अधिकारी भारतीय वन सेवा में पदोन्नत होने के पात्र बन गए। समग्र सेवा रिकॉर्ड के आधार पर, चयन समिति ने प्रतिवादी का "बहुत अच्छा"मूल्यांकन किया और उसे 2001 की चयन सूची में क्रमांक 10 में शामिल किया। प्रतिवादी संख्या 4-8 को चयन समिति द्वारा "उत्कृष्ट"के रूप में मूल्यांकन किया गया था और चयन सूची में क्रमांक संख्या 3-7 में शामिल किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने दावा किया कि उसका मूल्यांकन "उत्कृष्ट"के रूप में किया जाना चाहिए था और उसे प्रतिवादियों 4-8 पर भारतीय वन सेवा संवर्ग में वरिष्ठता सौंपी जानी चाहिए थी। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्ष 2001 के लिए चयन समिति द्वारा पेटेंट सामग्री में अनियमितताएं की गई थीं। इस न्यायालय ने यूपीएससी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निर्धारित किया कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन न्यायालयों द्वारा जिनके पास यह कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है वह अभ्यास जो ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक है। अल्तमस कबीर, जे. निर्णय के पैराग्राफ 12, 13 और 14 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"12. यह अब कमोबेश अच्छी तरह से तय हो चुका है कि

किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में उन न्यायालयों द्वारा आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जिनके पास इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अभ्यास करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। ऐसा विचार था 2005 में यूपीएससी बनाम के. राजैया और अन्य के मामले में एेसा विचार दोहराया गया, जो [2005] 10 एससीसी 15 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें आई. पी.एस. कैडर में पदोन्नति के उद्देश्य से उपरोक्त नियम विचाराधीन थे। उपरोक्त, कार्यवाही के किसी भी चरण में, न तो ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष या यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी, चयन समिति के खिलाफ दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और एकमात्र शिकायत यह है कि चयन समिति ने संबंधित उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन करते समय गलती की है। । अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, श्री राव ने बताया था कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को एक समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने का दिया गया निर्देश भी गलत था क्योंकि विनियमों में यह प्रावधान है कि चयन किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नहीं बल्कि विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया

जाएगा।

13. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से यह आग्रह किया गया है कि ऐसी कोई रोक नहीं है जो ट्रिब्यूनल को संबंधित उम्मीदवारों के मूल एसीआरएस को देखने से रोकती है, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह बिल्कुल विवेकपूर्ण था ट्रिब्यूनल ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जो चयन सूची तैयार करने में चयन समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर सवाल उठाने के समान होगी।

14. प्रस्तुत प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से, हम संतुष्ट हैं कि पात्र अधिकारियों की ग्रेडिंग के लिए जो पद्धति विकसित की गई है और विनियमों में शामिल की गई है, उसका चयन समिति द्वारा ईमानदारी से पालन किया गया है, जिसने ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं की है। उच्च न्यायालय ने इसमें शामिल तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाए बिना केवल ट्रिब्यूनल के फैसले का पालन किया है।"

29. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि डीपीसी को उसके द्वारा विचार किए जा रहे उम्मीदवार की उपयुक्तता और योग्यता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए अपनी पद्धति और प्रक्रिया तैयार करने का पूर्ण विवेक प्राप्त था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

30. तदनुसार, सिविल अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया जाता है। हालाँकि, कोस्ट की राशि के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

वी.एस.एस.

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***